संख्या-105/2023/001-3071-24-1-2023-156-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के सभी जनपदों में वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण संबंधी कार्यों हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का पत्र संख्या-1223/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक 2023-24/436, दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुपूरक अनुदान अन्तर्गत ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 में पूँजीगत मतदेय मद के लेखाशीर्ष 4801-05-190-11-30 में प्रदेश के सभी जनपदों में वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण संबंधी कार्यों हेतु अंशपूँजी मद हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रूपये 1500,00,00,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह दिसम्बर, 2023 से माह मार्च, 2024 तक धनराशि रूपये 375,00,00,000/- (रूपये तीन सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) की चार समान मासिक किश्तों में आहरित किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण कार्यों को समय से पूर्ण कराये जाने हेतु किया जायेगा।

(6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(7) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,00,00,000 (रुपये पंद्रह अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 4801051901100 प्रदेश के सभी जनपदों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यों हेतु **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-130-X-2023-24-दिनांक:20-12-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।

संख्या- 105/2023/001-3071(1)-24-1-2023-156-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
4- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
अनु सचिव।